न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 142/2020

निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

बृजराज उर्फ बुधराज पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

प्रार्थी

पेरोकार सरकार

राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध करने बाबत्

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी हाल खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.34 है0 कुल किता 5 रकबा 1.34 है0 वाके ग्राम टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम बुद्धराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह है। प्रार्थी को बृजराज सिंह व बुद्धराज सिंह दो नामो से जाना जाता था। गांव में दोनो नामों से बोला जाता था। प्रार्थी का भूमि रिकार्ड के अलावा अन्य सभी असल दस्तावेजों में नाम बृजराज सिंह है। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि से मिलने वाले सरकारी लाभ प्रार्थी को प्राप्त नही हो रहे है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि बृद्धराज सिंह की जगह बृजराज सिंह राजस्व जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने की कृपा करें।

तहसीलदार देवली को लैण्ड होल्डर होने के कारण तलबी जारी की गई।

पेरोकार सरकार देवली ने तहसीलदार देवली की ओर से जवाब पेश किया जो बिन्दूवार इस प्रकार है:–

1. ग्राम टोडा का गोठडा मे ख0नं0 1436/0.27, 1441/0.11, 1442/0.23, 1443/0.39, 1452/0.34 कुल किता 5 कुल रकबा 1.34 है0 सिलिंग सिवायचक भूमि से सिलिंग आवंटन आदेश कमांक 2755 दिनांक 27.02.1999 द्वारा बृजराज सिंह, छोटू सिंह पिता गोविन्द सिंह जाति राजपूत के आवंटन हुई थी।
2. सिलिंग आवंटन का नामा0 सं. 59 दिनांक 15.03.1999 के द्वारा बृजराजसिंह , छोटू सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत सा0 देह गैर खातेदार स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ था।
3. ग्राम टोडा का गोठडा के साबिक ख0नं0 1436/0.27 हाल खसरा नं0 1023/0.27 साबिक ख0नं0 1441/0.11 हाल ख0नं0 1030/0.39 साबिक ख0नं0 1452/0.34 हाल ख0नं0 1039/0.34 के नये नम्बर बने है।
4. सिलिंग आवंटन से लेकर आ दिनांक तक आवंटित भूमि पर बृजराज सिंह उर्फ बुद्धराज सिंह, छोटू सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत का कब्जा कास्त चला आ रहा है।
5. प्रार्थी बुद्धराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत को ग्राम टोडा का गोठडा में बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत के नाम से पुकारते है व जानते है।
6. ग्राम टोडा का गोठडा ग्राम पंचायत के द्वारा व प्रार्थी के आधार कार्ड, ड्राविंग लाईसेंस, फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड ईत्यादि में प्रार्थी का नाम बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह कोम राजपूत दर्ज है।
7. प्रार्थी द्वारा पेश किये गये शपथ–पत्र में बृजराज सिंह उर्फ बुद्धराज सिंह दोनो एक ही नाम होने का पेश किया गया है।
8. ग्रामवासियों से पूछताछ व मौका पर्चा अनुसार बृजरासिंह उर्फ बुद्धराजसिंह पिता गोविन्द सिंह कोम राजपूत ग्राम में एक ही व्यक्ति है। इस नाम कोई अन्य व्यक्ति नही है।
9. प्रार्थी बुद्धराज सिंह उर्फ बृजरासिंह पिता गोविन्द सिंह कोम राजपूत आज से लगभग बीस साल पूर्व बांरा में निवास कर रहा है। इसकी खातेदारी भूमि को वर्तमान मे इसके भाई कास्त कर रहे है।

इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों ग्राम पंचायत द्वारा मय प्रमाण पत्र, मौका रिपोर्ट एवं ग्रामवासियों द्वारा बताये गये अनुसार बृजराज सिंड़ उर्फ बुद्धराजसिंह पिता गोविन्द सिंह कोम राजपूत साकिन टोडा का गोठडा हाल निवासी बारां का एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन बृजराज सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत निवासी टोडा का गोठड़ा हाल निवासी बारां, सम्पत सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत, बृजराज सिंह पिता गोविन्द सिंह राजपूत, बद्रीलाल पिता भूरा मीणा, अर्जन सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत में बयान/साक्ष्य करवाये जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मुझे मेरे गांव में बचपन से ही बृजराज सिंह व बुद्धराज सिंह के नाम से पुकारते थे जिस कारण से नामान्तकरण संख्या 59 नामान्तकरण रजिस्टर टोडा का गोठड़ा में मेरा नाम बुद्धराज सिंह दर्ज कर दिया गया जिसके बाद के राजस्व रिकॉर्ड में बृद्धराज सिंह ही चला आ रहा है। मेरे अन्य सभी सरकारी रिकॉर्ड में मेरा नाम बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह है। इस कारण से मेरी आराजी को न तो मै हस्तान्तरण कर सकता हूं और न ही अन्य किसी प्रकार का कृषक लोन ले सकता हूं। अतः मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में बुद्धराज के स्थान पर बृजराज फरमाने के आदेश प्रदान करे। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 39 वाके तनग्राम टोडा का गोठड़ा में बृद्धराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह अंकित है और प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में बृजराज सिंह करवाना चाहता है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र दिनांक 06.10.2008, आयकर विभाग से जारी पेन कार्ड पेश की छायाप्रतियां पेश की है जिनमें प्रार्थी का नाम बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह का अंकन है। साथ ही प्रार्थी ने नोटेरी पब्लिक में तस्दीक शपथ पत्र, ग्राम पंचायत टोडा का गोठड़ा से जारी प्रमाण

पत्र दिनांक 1.07.2020 व बयान स्वयं बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह व गोविन्द सिंह राजपूत, बद्रीलाल पिता भूरा मीणा, अर्जन सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत में बयान/साक्ष्य करवाये है। उक्त सरकारी रिकॉर्ड, पेरोकार सरकार देवली का जवाब/रिपोर्ट, स्वयं का शपथ पत्र व बयान से साबित है कि प्रार्थी ही बुद्धराज सिंह व बृजराज सिंह नाम का व्यक्ति है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थी के दोनो नामों में अधिकतम समानता होने से राजस्व रिकॉर्ड में बृद्धराज दर्ज रिकॉर्ड हो गया, जिसको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 39 वाके ग्राम टोडा का गोठड़ा तहसील देवली में बुद्धराज सिंह को विलोपित कर बृजराज सिंह पुत्र गोविन्द सिंह दर्ज राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.20

उपखण्ड अधिकारी
देवली

15